बायोगैस यूनिट स्थापना से सबल होंगी ग्राम पंचायतें

संवाद न्यूज एजेंसी

महराजगंज। ग्राम पंचायतें बायोगैस यूनिट लगवाकर अपनी आय बढ़ाने का जतन कर सकती हैं। इसके लिए गोवर्धन योजना से मदद मिलेगी। ग्राम पंचायतों को योजना के तहत अनुदान लाभ प्राप्त करने के लिए 40 फीसदी पूंजी खुद लगानी होगी और 60 फीसदी अनुदान शासन की तरफ से दिया जाएगा।

बायोगैस यूनिट से 5 किलोवाट बिजली रोजाना उत्पादित हो सकेगी जिससे गांव की सड़कों पर लगे लैंप पोस्ट, सचिवालय और प्राथमिक स्कूलों के लिए बिजली का प्रबंध हो सकेगा और ग्राम पंचायतों को बिजली बिल भरने से छुटकारा भी मिल सकेगा। बेसहारा पशुओं की देखरेख के लिए ग्राम पंचायतों में सरकार ने अस्थायी गोशाला बनवाकर पशुओं को सुरक्षित रखने का प्रबंध किया है।

गोशाला से निकलने वाले गोबर से अब ग्राम पंचायतों को कमाई का जरिया खोज निकाला गया है। ग्राम पंचायत को गोशाला से गोबर का निपटारा करने के लिए बायोगैस यूनिट का लाभ मिल सकेगा। गोवर्धन योजना से युनिट लगवाने के लिए जितना खर्च आएगा उसका भुगतान 40 फीसदी ग्राम पंचायतें वहन करेंगी और गोवर्धन योजना से 60 फीसदी अनुदान सरकार से मिल सकेगा।

ग्राम पंचायतों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्राम्य विकास विभाग ने आनंद बायोटेक और सिस्टेमा बायोटेक से अनुबंध की तैयारी में है जो ग्राम पंचायतों को कम लागत में युनिट स्थापित करने में मदद करेंगी।

60 फीसदी मिलेगा अनुदान मनरेगा से हो सकेगा कार्य

ग्राम्य विकास के गोवर्धन योजना से ग्राम पंचायतें बायोगैस यूनिट लगवा सकती हैं। सरकार 60 फीसदी अनुदान देगी। इसके अलावा मनरेगा योजना के जरिए भी प्रस्ताव भेजकर निर्माण कार्य कराया जा सकता है। बिजली और खाद के जरिये ग्राम पंचायतें अपनी आय बढ़ा सकती हैं।

-करुणाकर अदीब, जिला विकास अधिकारी

ग्राम पंचायतों को दोहरा लाभ

न्याय पंचायतों की गोशाला में 1.8 लाख पशु संरक्षित हैं। एक गोशाला में कम से कम 100 पशुओं को रखने की व्यवस्था की गई है। गोशाला से रोजाना 60-70 किलो गोबर उत्सर्जन होता है। आनंद बायोटेक के एरिया मैनेजर संदीप त्रिपाठी के अनुसार, 5 किलोवाट बिजली उत्पादन की यूनिट लग सकती है जिसपर 13 लाख रुपये का खर्च आएगा। इससे इतनी बिजली प्राप्त होगी जो गांव के सार्वजनिक स्थानों पर लगे लैंप पोस्ट, पंचायत घर, स्वास्थ्य उपकेंद्र व स्कूलों के लिए पर्याप्त होगी। साथ ही यूनिट से निकलने वाली खाद को आजीविका समूहों के मार्फत ग्राम सभाएं जैविक खाद के रूप में पैक कर बाजार में बिक्री के लिए उतार सकती हैं।